न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 22/2024 बउनवानी अशोक कुमार बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर
पुत्र बजरंग लाल खटीक निवासी ब्रहापुरी मोहल्ला शहर स0मा0 **GCMS No-2024/62**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
19.6.2024	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 19.3.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:–

1. तहसीलदार स0मा0 महोदय के आदेश क्रमांक 3766 दिनांक 29.7.2009 संलग्न समस्त दस्तावेज जो पटवारी के द्वारा नामा0 खोलने हेतु प्रेषित किये गये है उसकी पत्रावली व आदेशो की छायाप्रति दिलवाने बाबत ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक:आरटीआई/2024/342 दिनांक 18.6.2024 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 19.3.2024 मे (तहसीलदार सवाईमाधोपुर के 3766 दिनांक 29.7.2009 मय संलग्नक) चाही गयी सूचना (कुल 7 पृष्ठो की) तहसीलदार सवाईमाधोपुर के पत्रांक 339 दिनांक 13.6.2024 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 19.3.2024 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना (पत्रांक 3766 दिनांक 29.7.2009 मय संलग्नक) कुल 7 पृष्ठो तहसीलदार सवाईमाधोपुर के पत्रांक 339 दिनांक 18.6.2024 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। चूंकि चाही गयी सूचना अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है ऐंसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:14:03 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाईमाधोपुर

Scanned with OKEN Scanner